



प्रेस नोट थाना बण्डा

जनपद शाहजहाँपुर

सराहनीय कार्य दिनांक-22.08.25

थाना बण्डा पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत अभियोग में वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद शाहजहाँपुर के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) व क्षेत्राधिकारी पुवायां जनपद शाहजहाँपुर के पर्यवेक्षण में चलाये जा रहे अभियान चिन्हित किये गये अपराधियों की गिरफ्तारी व तलाश वांछित/वारन्टी-जिलाबदर अपराधी व रोकथाम अवैध शराब-शस्त्र / अफीम चरस बिक्री-निर्माण एवं चैकिंग संदिग्ध व्यक्ति-वाहन/गश्त के दौरान आज दिनांक 22.08.2025 को थाना बण्डा पुलिस को बड़ी सफलता प्राप्त हुई।

संक्षिप्त विवरण:-

सादर अवगत कराना है कि थाना बण्डा पर दिनांक 06.08.2025 को मु0अ0सं0 0391/2025 धारा 115(2)/352/351(2) BNS वादी नसीम पुत्र उस्मान निवासी ग्राम मुरादपुर थाना बण्डा जनपद शाहजहाँपुर की लिखित तहरीर पर वादी के पिता उस्मान पुत्र सकरूल्ला को गंदी-2 गालियां देने व लाठी डण्डो से मारपीट करने व जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में अभियुक्तगण 1.सलीम पुत्र निजामुद्दीन 2.साहीन पत्नी सलीम हाल निवासीगण ग्राम मुरादपुर थाना बण्डा जनपद शाहजहाँपुर मूल निवासी मोहल्ला गयासपुर नई बस्ती थाना बीसलपुर जनपद पीलीभीत 3. दो व्यक्ति अज्ञात के विरुद्ध पंजीकृत किया गया। दौराने इलाज वादी के पिता उस्मान उपरोक्त की मृत्यु हो जाने पर मुकदमा उपरोक्त में साक्ष्य संकलन के आधार पर धारा 105 BNS की वृद्धि की गयी। विवेचनात्मक कार्यवाही से दिनांक 14.08.2025 को अभियुक्त सलीम पुत्र निजामुद्दीन हाल निवासीगण ग्राम मुरादपुर थाना बण्डा जनपद शाहजहाँपुर मूल निवासी मोहल्ला गयासपुर नई बस्ती थाना बीसलपुर जनपद पीलीभीत को गिरफ्तार कर जिला कारागार शाहजहाँपुर भेजा गया था।

आज दिनांक 22.08.2025 को मुखबिर की सूचना पवन कुमार मय हमराह का0 731 जरनैल सिंह व का0 विवेक द्वारा अभियुक्तगण 1.इस्लामुद्दीन पुत्र निजामुद्दीन 2. मोहसीन उर्फ मोसीन पुत्र इस्लामुद्दीन निवासीगण मोहल्ला गयासपुर नई बस्ती थाना बीसलपुर जनपद पीलीभीत को मझरिया घाट पुल के नजदीक से समय करीब 11.30 बजे गिरफ्तार कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

- 1.इस्लामुद्दीन पुत्र निजामुद्दीन (उम्र करीब 45 वर्ष)
 2. मोहसीन उर्फ मोसीन पुत्र इस्लामुद्दीन (उम्र करीब 22 वर्ष)
- निवासीगण मोहल्ला गयासपुर नई बस्ती थाना बीसलपुर जनपद पीलीभीत

आपराधिक इतिहास दोनों अभियुक्तगण-

मु0अ0सं0 391/25 धारा 105/115(2)/352/351(2) BNS

गिरफ्तारी का स्थान व समय:-

दिनांक 22.08.2025 को समय 11.30 बजे मझरिया घाट पुल के नजदीक से

पूछताछ का विवरण:-

इस्लामुद्दीन पुत्र निजामुद्दीन उम्र करीब 45 वर्ष निवासी मोहल्ला गयासपुर नई बस्ती थाना बीसलपुर जनपद पीलीभीत मोबाइल नम्बर 9634265393 ने पूछने पर बताया कि साहब मेरा भाई सलीम ने मुरादपुर बण्डा में घर बनाया था। और वह अपने परिवार के साथ उसी घर में रहता है मैं व मेरा लडका मोहसीन उर्फ मोसीन अक्सर मुरादपुर अपने परिवार के पास आते जाते रहते है साहब जिस दिन वहां मारपीट हुई थी उस दिन मैं व मेरा लडका वहीं घर पर मौजूद थे हम लोग घर के अन्दर थे तभी सलीम के घर के बाहर से गाली गलौज की आवाज आने लगी आवाज सुनकर मैं , मेरा भाई सलीम व मेरा लडका मोहसीन उर्फ मोसीन घर के बाहर आ गये तभी सलीम के घर के सामने वाले उस्मान व उसके परिवार वाले रास्ते में कुर्सी डालकर बैठने को लेकर गाली गलौज कर रहे थे उसके बाद हम लोगो के मध्य मारपीट होने लगी व लाठी डण्डो लात घूसे चलने लगे थे मारपीट के दौरान उस्मान व उनके परिवार वाले गम्भीर रुप से घायल हो गये थे उसके बाद हम सभी वहां से भाग गये थे। साहब हम लोगो को उस्मान को जान से मारने की इरादा नहीं था मारपीट में गलती से उस्मान को गम्भीर चोट लग गयी जिससे उसकी मृत्यु हो गयी साहब आज मैं व मेरा लडका कहीं जा रहे थे कि आपने पकड़ लिया शेष सफाई माननीय न्यायालय देना बताया।

मोहसीन उर्फ मोसीन पुत्र इस्लामुद्दीन उम्र करीब 22 वर्ष निवासी मोहल्ला गयासपुर नई बस्ती थाना बीसलपुर जनपद पीलीभीत मोबाइल नम्बर 7404204784 ने पूछने पर बताया कि साहब मेरे चाचा सलीम ने मुरादपुर बण्डा में घर बनाया था। और वह अपने परिवार के साथ उसी घर में रहता है मैं अपने पिता इस्लामुद्दीन के साथ अक्सर मुरादपुर अपने परिवार के पास आते जाते रहते है साहब जिस दिन वहां मारपीट हुई थी उस दिन मैं व मेरे पिता वहीं घर पर मौजूद थे हम लोग घर के अन्दर थे तभी चाचा सलीम के घर के बाहर से गाली गलौज की आवाज आने लगी आवाज सुनकर मैं अपने पिता इस्लामुद्दीन के साथ घर के बाहर गये थे तभी चाचा सलीम के घर के सामने वाले उस्मान व उसके परिवार वाले रास्ते में कुर्सी डालकर बैठने को लेकर गाली गलौज कर रहे थे उसके बाद हम लोगो के मध्य मारपीट होने लगी व लाठी डण्डो लात घूसे चलने लगे थे मारपीट के दौरान उस्मान व उनके परिवार वाले गम्भीर रुप से घायल हो गये थे उसके बाद हम सभी वहां से भाग गये थे। साहब हम लोगो को उस्मान को जान से मारने की इरादा नहीं था मारपीट में गलती से उस्मान को गम्भीर चोट लग गयी जिससे उसकी मृत्यु हो गयी साहब आज मैं व मेरा लडका कहीं जा रहे थे कि आपने पकड़ लिया शेष सफाई माननीय न्यायालय देना बताया।

गिरफ्तार करने वाली टीम: -

1. श्री प्रदीप कुमार राय प्रभारी निरीक्षक थाना बण्डा जनपद शाहजहाँपुर
2. उ0नि0 पवन कुमार थाना बण्डा जनपद शाहजहाँपुर
3. का0 विवेक कुमार थाना बण्डा जनपद शाहजहाँपुर
4. का0 731 जरनैल सिंह थाना बण्डा जिला शाहजहाँपुर